ए.सी. अनंतस्वामी और अन्य

बनाम

वी बोरैया (डी) एलआरएस द्वारा

20 अगस्त 2004

[जस्टिस अशोक भान और जस्टिस एस.एच. कपाड़िया, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 :

S.9, Or. 9, R.13- धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए, वाद एक पक्षीय डिक्री को निरस्त करने -आदेश 9, आर.13 के तहत, पहले दायर किया गया आवेदन खारिज- न तो आवेदन में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है और न ही पुनरीक्षण में- तथ्य- धोखाधड़ी की दलील को बिना परिभाषित किये और साबित किये, सिवाय कोरे आरोप के कुछ भी नहीं है, बिना धोखाधड़ी के सबूत और समन की तामील न होने का मामला, के कथित आधार पर एकपक्षीय डिक्री को खारिज करने योग्य नहीं है।

आदेश VI, नियम 4-धोखाधड़ी-आयोजित, अभिवचन और साबित किया जाना है-एक अस्पष्ट कथन स्वयं प्रतिनिधि को धोखाधड़ी का दोषी नहीं बना सकता है।

अपीलकर्ताओं के पूर्ववर्ती-हित में, एकपक्षीय डिक्री पारित कराने में पुनरीक्षण चरण तक असफल रहने, समन की तामील न करने पर, उसके खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के तहत एक पक्षीय

डिक्री और डिक्री पर रोक लगाने वाले, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर कर दिया, उक्त पूर्व डिक्री को अपास्त करने के लिए- एवं धारक को डिक्री निष्पादित करने से रोकें। यह तर्क दिया गया कि एकपक्षीय डिक्री धोखाधड़ी और गलत बयानी का अभ्यास करके प्राप्त की गई थी, पहले वाले सूट में, प्रतिवादी का उचित नाम और पता जानबूझकर नहीं दिया गया। इस मुकदमे पर ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील दायर की।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

अपीलकर्ताओं के पूर्ववर्ती हित में, उन्होने पहले सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 9, नियम 13 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें समन की तामील न करने के लिए, एकपक्षीय डिक्री को दरकिनार करने के लिए कहा गया था, जिसमें धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाया गया था और न पुनरीक्षण में ही ऐसा कोई आरोप था। तत्पश्चात, एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिये, धोखाघड़ी एवं गलत प्रतिनिधित्व / गलत बयानी का वाद दायर किया गया। धोखाधड़ी को परिभाषित और साबित करना होगा। धोखाघडी को प्रमाणित करने के लिये गलत प्रतिनिधित्व को साबित करना होगा। ऐसे वाद में बहुत उच्च स्तर के प्रमाण व सबूत चाहिये। एक अप्रमाणित कथन के आधार पर डिक्रिधारक को धोखाघडी को दोषी नहीं बताया जा सकता। वर्तमान वाद में

भी, एक अप्रमाणित आरोप के सिवा, कोई अन्य प्रमाण अथवा सबूत नहीं है।

चोकसी भीदरभाई माथुरभाई बनाम पुरुषोत्तमदास भोगीलाल शाह, एआईआर (1962) गुजरात 10, अनुमोदित।

पोलक और मुल्ला- एक भारतीय अनुबंध और विशिष्ट राहत अधिनियम, (2001) 12 संस्करण पृष्ठ 489 का उल्लेख किया गया है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 3768/2000,

कर्नाटक उच्च न्यायालय के आर. एफ. ए. सं. 358/1989 में दिनांकित 17.12.98 के निर्णय और आदेश से।

पी. कृष्णमूर्ति, जी. वी. चंद्रशेखर और पी. पी. सिंह अपीलार्थी।

आर. एस. हेगड़े, चंद्र प्रकाश, सुश्री सावित्री पांडे और के. आर. नागराजा प्रत्यर्थी के लिए।

यह निर्णय न्यायामूर्ति कपाडिया द्वारा दिया गया था। कपाडिया, जे.: विशेष अनुमति द्वारा यह कानूनी अपील दायर की जाती है, कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय दिनांकित 17.12.1998 और आदेश के खिलाफ मूल वादी, पटेल चिक्काहनुमैया (मृत होने के बाद से) के प्रतिनिधि, 1989 की नियमित प्रथम अपील सं. 358 में की ओर से, अदालत ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया है। O.S. 4802/80 अतिरिक्त न्यायालय में दायर किया गया। सिटी सिविल जज, बैंगलोर

बोरैया (मृत होने के बाद से) के खिलाफ। प्रत्यर्थी उक्त बोरैया के कानूनी प्रतिनिधि हैं।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं:

दिनांक 26-07-1974 को उक्त बोरैया ने द्वितीय मुन्सिफ, बैंगलोर के न्यायालय में ओ. एस. संख्या 648 वाला एक पक्षीय डिक्री पर रोक लगाने वाले, और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया। 18.8.1975 को बोरैया के पक्ष में डिक्रि पारित हुई, जो कि एक पक्षीय डिक्री थी। 13.6.1977 को पटेल चिक्काहनुमैया ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत, समन की गैर-सेवा के आधार पर एकतरफा डिक्री को अपास्त करने के लिये वाद दायर किया। साथ ही, उसी दिन, उन्होंने उक्त एकतरफा डिक्री के खिलाफ 1977 की आर. ए. संख्या 54 को भी प्राथमिकता दी। दिनांक 8.3.1978 को, 1977 के आर. ए. नंबर 54 को समय की पाबंदी के रूप में खारिज कर दिया गया था। इस बीच, बोरैया ने निष्पादन मामला संख्या 441/77 के माध्यम से निष्पादन के लिए आवेदन किया। 12.1.1979 को पटेल चिक्काहनुमैया ने section 9 CPC के तहत अतिरिक्त शहर सिविल न्यायाधीश (एक्स), बैंगलोर के न्यायालय में, वर्तमान वाद O.S. No.7 of 1979, जो बाद में पुनः क्रमांकित हुआ O.S. No. 4802/80 दायर किया, इस बाबत कि 18.8.1975 को पारित एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने और बोरैया को उक्त डिक्री को निष्पादित करने से रोकने के लिए, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए, यह आरोप

लगाते हुए कि उक्त डिक्री धोखाघड़ी एवं गलत प्रतिनिधित्व / गलत बयानी के आधार पर प्राप्त किया गया था। यह आपत्ति दी गई कि बोरैया, सही नाम व पता देने में असफल हुए और इस कारण पटेल चिक्काहनुमैया सूचित न हो सके।

दिनांक 29.5.1989 को को पारित निर्णय व डिक्री पर, ट्रायल कोर्ट ने यह मानते हुए उक्त मुकदमे का फैसला सुनाया, कि बोरैया द्वारा धोखाधड़ी का अभ्यास किया गया था। बोरैया ने सही नाम व पता नहीं दिए और इस कारण सम्मन से पटेल सूचित न हो सके। इन सभी कारणों की वजह से ट्रायल कोट्र ने दिनांक 18.8.1975 को पारित की गई डिक्रि अपास्त कर दी।

निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और डिक्री से व्यथित होकर, बोरैया ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में 1989 RFA No. 358, वर्ष 1989 याचिका दायर की। दिनांक 17.12.1998 को दिए गए, विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि समन की तामील न करना, धोखाधड़ी या गलत निरूपण नहीं है; न पटेल शब्द की अनुपस्थिति और पिता के नाम में गलती से बोरैया की ओर से धोखाधड़ी या गलत निरूपण का प्रमाण नहीं मिलता है। जब पटेल चिक्काहनुमैया ने Order 9 Rule 13 CPC वाद दायर किया, तो धोखाधड़ी का ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया था। न कि उन्होंने आर. ए. सं. 54/77 में धोखाधड़ी का कोई आरोप नहीं लगाया। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित

निर्णय और डिक्री को उलट दिया और, बोरैया के पक्ष में मुकदमा सं. suit no. O.S. 648/74 में दिनांकित 18.8.1975 एकतरफा डिक्री को बहाल कर दिया। इसलिए, यह सिविल अपील।

हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। सबसे पहले, वर्तमान मामले में, पटेल चिक्काहनुमैया ने आदेश 9 नियम 13 के तहत एक आवेदन दायर किया था। सम्मन सेवा न देने के आधार पर एकतरफा डिक्री को अपास्त करने के लिए, सी. पी. सी. समन जिसमें धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाया गया था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, पटेल चिक्काहनुमैया ने 1977 का आर. ए. No.54 पेश किया था, जिसमें ऐसा कोई आरोप नहीं था। दूसरा, वर्तमान मुकदमा अपास्त करने के लिए दायर किया गया है, इस आधार पर कि एकतरफा डिक्री धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी। धोखाधड़ी को परिभाषित और साबित करना होगा। धोखाघडी को प्रमाणित करने के लिये गलत प्रतिनिधित्व को साबित करना होगा। ऐसे वादो में बहुत उच्च स्तर के प्रमाण व सबूत चाहिये। एक अप्रमाणित कथन के आधार पर डिक्रिधारक को धोखाघडी को दोषी नहीं बताया जा सकता। वर्तमान वाद में भी, एक अप्रमाणित आरोप के सिवा, कोई अन्य प्रमाण अथवा सबूत नहीं है। देखिएः भारतीय अनुबंध पर पोलक और मुल्ला-विशिष्ट राहत अधिनियम (2001) 12 वां संस्करण पृष्ठ 489]।

वर्तमान मामले में धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं है। वर्तमान मामला, समन की तामील न करने का मामला है। वर्तमान मामले, AIR (1962)

गुजरात 10, चोकसी भीदरभाई माथुरभाई बनाम के मामले में भी सम्मन सेवा न देने के आधार पर, धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। सम्मन सेवा न होने पर, धोखाधड़ी के कथित आधार पर डिक्री को दरकिनार करने के लिए ऐसा मुकदमा, रखरखाव योग्य नहीं था। अंत में, इस अपील में कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं उठता है।

उपरोक्त कारणों से, हम इस सिविल याचिका/अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। अपील तदनुसार खारिज कर दिया जाता है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश है।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुमित्रा कुमारी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।